

आज दिनांक 14.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

नाबालिग बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 462 / 2022 धारा 363 / 366 / 406 भा0द0वि0 व 3(2)(5) एससी /एसटी एक्ट के मामले मे वाँछित अभियुक्त नाम पता मुन्ना उर्फ वारिश अली पुत्र जुगुनू उर्फ तबरेज आलम निवासी जदूपट्टी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को मुण्डेरा शुक्ल चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 01.11.2022 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनोज कुमार पटेल, का0 दुर्गेश पाण्डेय ।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सकुशल अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री राम प्रकाश के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री सर्वेश कुमार राय के नेतृत्व में को0 खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 379 / 2022 संबन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । विदित हो कि उक्त अपहृता के अपहरण के संबन्ध में अपहृता के परिजनों की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 379 / 2022 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया था महिला संबन्धी अपराध के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज उक्त अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी ।

बरामद करने वाली टीम - उ0नि0श्री राधेश्याम प्रसाद, म0का0 वैष्णवी शुक्ला ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद के दौरान घायल लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल - पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत हसनी से इवेन्ट संख्या 08648 से दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद के दौरान 03 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस 108 अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट / विवाद में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थनीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 अरविन्द कुमार, आरक्षी पवन कुमार, हो0चा0 अखिलेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनो से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 14.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनो से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।